न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 88/2017

हेमलता कुमावत निवासी सरस्वती कॉलोनी मकान नं0 5 गली नम्बर 8 बांरा रोड पुलिस लाईन कोटा राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 15.01.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

जिला टोंक की तहसील देवली के ग्राम साकेत कॉलोनी मे सूचनार्थ/प्रार्थीया के पति कर्मवीर कुमावत एंव सास/मॉ रामेश्वरी कुमावत के नाम से जो भी भूमि उक्त ग्राम मे है। उस भूमि का खसरा नम्बर व रकबा की सूचना प्रदान करे। साथ ही जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदान करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 20.12.2017 व 7 दिनांक 03.01.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली ने पत्र क्रमांक 297 दिनांक 03.01.2018 जो अपीलार्थी को सम्बोधित है की प्रति न्यायालय हाजा को प्रेषित की है के अनुसार सूचना के संबंध मे अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक